वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-1

सं. 20-1(1)/2001-राभा दिनांक : 16.08.2017

कार्यालय ज्ञापन

सरकारी कामकाज में हिंदी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत हिंदी में **मूल** नोटिंग/ड्राफ्टिंग करने वाले कर्मचारियों से कैलेण्डर **वर्ष 2016 (जनवरी 2016 से दिसम्बर, 2016 तक)** की प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं। अत: सभी संबंधितों से अनुरोध है कि प्रविष्टियां निर्धारित संलग्नक-I में संबंधित अनुभागीय/प्रभागीय/यूनिट के प्रभारी-अधिकारी से सत्यापित कराकर दिनांक **31.08.2017** तक राजभाषा अनुभाग को भेजी जाएं। पुरस्कार संबंधी निर्धारित मानदण्ड इस कार्यालय ज्ञापन के पीछे पृष्ठ पर दिए गए हैं।

(वंदिता)
हिंदी अधिकारी

संलग्नक : यथोक्त

प्रतिलिपि :

1. परिषद मुख्यालय के सभी अनुभाग/प्रभाग/अधिकारी/कर्मचारी-गण
2. प्रधान, आईपीयू, 14, सत्संग विहार मार्ग, स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया, निस्केयर बिल्डिंग, नई दिल्ली-110 067 **(सभी अनुभाग/प्रभाग/अधिकारी/कर्मचारी-गण)**
3. प्रधान, एचआरडीसी, सेक्टर-19, सेन्ट्रल गवर्नमेंट एन्क्लेव, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **(सभी अनुभाग/प्रभाग/अधिकारी/कर्मचारी-गण)**
4. परिषद मुख्यालय के सभी सूचना पट्ट
5. कार्यालय प्रति

सरकारी कामकाज में मूलत: हिंदी में टिपपण/आलेखन करने के लिए प्रोत्साहन योजना के निर्धारित मानदण्ड

योजना का विसतृत ब्यौरा

1. सभी श्रेणियों के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं, जो अपना सरकारी काम पूर्णत: या कुछ हद तक मूल रूप से हिंदी में करते हैं।
2. केवल ऐसे अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जिन्होंने वर्ष में कम से कम 20,000 हजार शब्द हिंदी में लिखे हैं। इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के अलावा हिंदी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे – रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि भी शामिल किए जाएंगे।
3. सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग का बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अंतर्गत आने वाले आशुलिपिक/टाइपिस्ट इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
4. हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादक जो सामान्यत: अपना काम हिंदी में करते हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

पुरस्कार

इस योजना के अन्तर्गत 10 पुरस्कार हैं।

पहला पुरस्कार (दो पुरस्कार) :	**प्रत्येक रूपये 5000/-**
दूसरा पुरस्कार (तीन पुरस्कार) :	**प्रत्येक रूपये 3000/-**
तीसरा पुरस्कार (पांच पुरस्कार) :	**प्रत्येक रूपये 2000/-**

पुरस्कार देने के मानदण्ड :

1. मूल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक रखें जाएंगे। इनमें से 70 अंक हिन्दी में किए गए काम की मात्रा के लिए रखे जाएंगे और 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे।
2. जो व्यक्ति एक वर्ष में 20,000 (बीस हजार) शब्द हिंदी में लिखेगा, वह पुरस्कारों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र है। पुरस्कार/मूल्यांकन समिति द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर क्रम में उनके स्थान के अनुसार प्रथम 10 व्यक्तियों को पुरस्कार दिए जाएंगे।
3. जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम, बंगाली, उडिया या असमिया है, उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अयथा उससे क्रम में ऊपर हैं।
4. संयुक्त सचिव मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकते हैं।

संलग्नक -I

.... अनुभाग/प्रभाग/यूनिट

प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कु. .... पदनाम .... द्वारा दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक के दौरान

हिंदी में किए गए नोटिंग/ड्राफ्टिंग कार्य का साप्ताहिक विवरण

क्रम सं.	तारीख	कुल फाइलों, रजिस्टरों आदि की संख्या जिनमें हिंदी में काम किया गया	हिंदी में लिखी गई टिप्पणी एवं आलेखन तथा अन्य कार्यों के शब्दों की संख्या	हिंदी में किए गए अन्य काम		उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार) (कार्य की मौलिकता, अभिव्यक्ति क्षमता तथा भाषा के स्तर के बारे में टिप्पणी सहित)
				संक्षिप्त ब्यौरा	शब्दों की संख्या	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.